संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
राज्य स्वास्थ्य समिति
बैंक ऑफ इंडिया भवन, तृतीय तल, अरेरा हिल्स
भोपाल, मध्यप्रदेश

क्र./आर.सी.एच./एम.एच./2013–14/345 भोपाल, दिनांक 22/04/2013

—:परिपत्र:—

विषय:— **वर्ष 2013–14 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को सामान्य प्रसव एवं सीजेरियन प्रसव हेतु औषधि एवं सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराने के संबंध में।**

संदर्भ:— **इस कार्यालय का पत्र कमांक/आर.सी.एच./एम.एच./2012–13/330 दिनांक 07.07.2013**

——00——

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा आर.सी.एच. अन्तर्गत जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम मद में शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में अनुमानित सामान्य प्रसव की संख्या के आधार पर 300/– रूपये प्रति महिला के मान से तथा अनुमानित सीजेरियन प्रसव की संख्या के आधार पर 1600/– रूपये प्रति महिला के मान से जिले की जिला स्तरीय कार्ययोजना में वर्ष 2012–13 में स्वीकृत किये गये थे। वर्ष 2013–14 में भी उपरोक्त संदर्भित दिशानिर्देशों के आधार पर ही प्रसव हेतु औषधि एवं सामग्री की व्यवस्था की जाये।

सुलभ संदर्भ हेतु भारत शासन द्वारा प्रेषित जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य एवं सीजेरियन प्रसव हेतु उपयोग में आने वाली सामग्री एवं औषधि की सूची पुनः संलग्न है। हर 3 माह हेतु औषधि एवं सामग्री का मांगपत्र जिले में उपलब्ध स्टॉक के आधार पर तैयार कर नियमानुसार कय आदेश जारी किये जाये तथा शासकीय मेडिकल कॉलेज के प्रसूति एवं स्त्रीरोग विभाग को भी उनकी आवश्यकतानुसार राशि संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा हस्तांतरित की जाये।

संलग्न:— भारत शासन द्वारा जे.एस.एस.के निर्देशों में जारी सामग्री एवं औषधि की सूची

(डॉ. एम.गीता)
मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम.
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/आर.सी.एच./एम.एच./2013–14/ भोपाल, दिनांक /04/2013

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
3. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
5. समस्त अधिष्ठाता, मेडिकल कॉलेज, मध्यप्रदेश।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, स्त्री रोग विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा/भोपाल/इन्दौर/जबलपुर/ग्वालियर/सागर, मध्यप्रदेश।
8. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
9. समस्त विकासखण्ड अधिकारी, मध्यप्रदेश।
10. समस्त संभागीय संलाहकार/मातृ स्वास्थ्य सलाहकार, मध्यप्रदेश
11. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक

मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम.
मध्यप्रदेश